



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-579

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 228204 दिनांक 16/07/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ARCHANA KUMARI MEENA W/o Jay singh Meena	श्रीमती नीलम बूटानी पत्नी श्री सुशील बुटानी	33	140.36 SQ. YARD	Private	SHREE NARSINGH VILLA	Name Transfer	श्रीमती अर्चना कुमारी मीना पत्नी श्री जयसिंह द्वारा निजी खातेदारी योजना नृसिंह विला खातीपुरा के भूखण्ड संख्या 33 क्षेत्रफल 140.36 व.ग. का नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी योजना नृसिंह विला खातीपुरा के भूखण्ड संख्या 33 क्षेत्रफल 140.36 व.ग. का पट्टा श्रीमती नीलम बूटानी पत्नी श्री सुशील बुटानी के पक्ष में दिनांक 20.10.2008 को जारी किया गया है। आवेदिका द्वारा अपलोड दस्तावेज अनुसार उक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमती नीलम बूटानी पत्नी श्री सुशील



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बुटानी द्वारा
श्रीमती सुनीता
मीणा पत्नी श्री
रजनीश जारेडा के
पक्ष में जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
10.10.2014 के
द्वारा किया गया
है। तत्पश्चात
श्रीमती सुनीता
मीणा द्वारा
श्रीमती अर्चना
कुमारी मीना पत्नी
श्री जयसिंह को
जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
25.01.2023 के
द्वारा बेचान किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. ARCHANA KUMARI MEENA W/o Jay singh Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |